न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट –तृतीय जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 64/2020
3. उनवान : सरकार जरिये बालशंकर शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री मनोहर लाल पुत्र श्री गुल्ला राम सैनी, नारहेडा तहसील कोटपूतली हाल निवासी प्रभात भडभूजा की दुकान, पावर हाउस के सामने, बस स्टेण्ड खेजरोली तहसील चौमू, जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 08.04.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) श्री आशू सिंह शेखावत अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, आमेर, जिला जयपुर श्री बालशंकर शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मय फर्द मौका पर्चा, फर्द बयान, पूछताछ पर्चा, मौका नजरी नक्शा, फर्द अधिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, फर्द नमूना, नमूना लेबल, जब्त रसीद प्रति तथा एफ.आई.आर. की प्रति आदि दिनांक 28.10.2009 को पेश की गई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी को दिनांक 21.10.2009 को जिला रसद अधिकारी, जयपुर के निर्देशानुसार अवैध रुप से डीजल व पेट्रोल के क्रय व विक्रय की शिकायत प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ एवं रुबरु मौतबिरान के ग्राम खेजरोली बस स्टेण्ड पर पावर हाउस के सामने श्री मनोहर लाल सैनी की दुकान पर पहुंचा व निरीक्षण किया। दुकान पर श्री मनोहर लाल उपस्थित मिला, जिसके द्वारा एक हीरो होण्डा चालक महेन्द्र कुमार यादव को आधा लीटर पेट्रोल 30 रु. में बेचा जा रहा था। श्री मनोहर लाल सैनी की दुकान जो कि प्रभात भडभूजा से किराये पर ले रखी है, का भौतिक सत्यापन करने पर तीन ड्रमों में 602 लीटर डीजल तथा 2.4 लीटर पैट्रोल मिला। दुकान में 10 लीटर, 5 लीटर व 1 लीटर की क्रोनिकल माप भी पाई गई। श्री मनोहर सैनी के कब्जे से एक बिक्री कॉपी जिसमें दिनांक 17.06.2009 से 21.09.2009 तक तथा दूसरी कॉपी दिनांक 22.09.2009 से 21.10.2009 तक की पाई गई जिसमें बिक्री संधारित है, जब्त की गई। वक्त जांच श्री मनोहर सैनी ने दुकान में पाये गये डीजल व पैट्रोल के बाबत कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया ना ही पैट्रोल व डीजल की बिक्री बाबत कोई विधिक अनुज्ञापत्र प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार श्री मनोहर लाल सैनी द्वारा बिना अनुज्ञापत्र डीजल व पैट्रोल का अवैध भण्डाराण कर क्रय विक्रय किया गया है जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर पाये गये डीजल में से एक–एक लीटर के तीन सैम्पल तथा पेट्रोल के 800–800 एम.एल. के तीन सैम्पल लिये गये तथा शेष 599 लीटर डीजल मय तीन ड्रम व 3 क्रोनिकल नाप को जब्त कर कब्जे सरकार लिया गया एवं सुरक्षा की दृष्टि से श्री रामकुमार यादव पुत्र श्री गोपीराम यादव निवासी ग्राम खेजरोली तहसील चौमूं को सपुर्दगी में दिया गया। प्रकरण में पुलिस थाना गोविन्दगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 315/2009 दिनांक 21.10.2009 को दर्ज करा दी गई है। अतः निवेदन है कि जब्तशुदा 599 लीटर डीजल मय 3 ड्रम तथा 3 क्रोनिकल नापों को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि डीजल ज्वलनशील, क्षयशील व जनहित की वस्तु है। अतः उपरोक्तानुसार जब्त सामान को धारा 6अ(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अंतरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त डीजल ज्वलनशील, क्षयशील, विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए के

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

सरकार बनाम मनोहरलाल

तहत आदेश दिनांक 28.10.2009 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त डीजल का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें।

2. अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये।

3. अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री आशु सिंह शेखावत ने दिनांक 05.03.2012 को वकालतनामा पेश किया। तत्पश्चात लम्बे समय तक सुनवाई पर रखे जाने के बाद भी अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं किया।

4. दिनांक 05.03.2012 को वकालतनामा पेश होने के बावजूद दिनांक 19.11.2013 तक जवाब पेश नहीं किये जाने पर अप्रार्थी के पास जब्त वस्तुओं के संधारण बाबत सम्यक जवाब नहीं पारित हुये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

5. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रुप से काम में लिये जा रहे डीजल के संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया ना ही इस संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत किये। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रुप से डीजल का उपयोग करना एलपीजी (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 एवं राजस्थान अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 599 लीटर डीजल मय 3 ड्रम तथा 3 क्रोनिकल नापों को राजसात (Confiscate) करने एवं 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने पर पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण अनुपस्थित रहे।

7. हम पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन तथा पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अप्रार्थी द्वारा डीजल का अवैध भण्डारण कर क्रय/विक्रय किया जा रहा था। मौके पर बिक्री संबंधी कॉपी एवं तीन क्रोनिकल नापें भी प्राप्त होने से यह बात पुख्ता रुप से पुष्ट होती है। अप्रार्थी ने इस व्यवसाय से संबंधित कोई वैध दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराये हैं। उक्त तथ्यों से अप्रार्थी द्वारा अवैध रुप से डीजल का भण्डारण व क्रय/विक्रय किया जाना पुष्ट होता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है और दिनांक 21.10.2009 को जब्त जब्तशुदा 599 लीटर डीजल मय 3 ड्रम तथा 3 क्रोनिकल नापों को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर को आदेशित किया जाता है कि वह राजसात किये गये जब्तशुदा 599 लीटर डीजल मय 3 ड्रम तथा 3 क्रोनिकल नापों का नियमानुसार अंतिम निस्तारण करें।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर को प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैराल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 08.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

([illegible] कुमार [illegible])
अति.(तृतीय) कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।